17/1/23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि मौजा सगालिया के खसरा नं0 103 व 206 जेठूसिंह आर पुत्र रावतसिंह राजपुरोहित, महेश कुमार पुत्र हिम्मतसिंह, रूपसिंह पुरोहित, तनूजा राजपुरोहित पत्नी परीक्षित राजपुरोहित की खातेदारी भूमि है। उक्त खसरा नं. में आने जाने के लिये खसरा नं0 86 रकबा 1.5216 हैक्टयर किस्म गै0मु0 रास्ता उपलब्ध है जो मौके पर चालू है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि के बीच में से निकलने वाले रास्ते खसरा नं0 86 को बंद कर नये सिरे से खसरा नं0 206 की माट से लगते हुए रास्ता रेकर्ड में दुरूस्त करवाना चाहते है। चुंकि उपरोक्त खसरा नं0 103 व 206 में आने जाने हेतु खसरा नं. 86 गै. मु. रास्ता वक्त बंदोबस्त से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी मौजा सगालिया के खसरा नं0 103 व 206 कुल रकबा 5.7789 में आने जाने हेतु खसरा नं. 86 रकबा 1.5216 गै0मु.रास्ता रिकॉर्ड में वक्त बंदोबस्त से ही दर्ज है। जो मौके पर चालू है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क/भूराजस्व अधिनियम की धारा 136 के अनुसार मेंटेनेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 17:16:22 IST
Reason: SelfAttested